



2026:AHC: 167019-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1562/2026

सचिन और 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की मांग करते हुए दाखिल की गई है:-

"(i) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ में बी.एन.एस. की धारा 85, 115 [2], 352, 351 [2] और डी.पी. एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0805 वर्ष 2025 के रूप में दर्ज आक्षेपित एफ.आई.आर. दिनांक 04.11.2025 [रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1] को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ii) कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करें जो यह माननीय न्यायालय वाद की वर्तमान परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।"

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि संबंधित पक्षकारों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित पक्षकार उक्त समझौता अनुबंध में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे जो अभिलेख पर है। उक्त समझौता अनुबंध के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"1. यह कि इस समझौतेनामे से पूर्व द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के विरुद्ध एफ०आई०आर० सं०-0805/2025 दिनांक 04-11-2025 को थाना कंकरखेडा में दर्ज करायी थी या इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के विरुद्ध जो भी कोई कानूनी कार्यवाही कर रखी होगी उसे वह स्वयं वापिस ले लेगी।

2. यह कि इस समझौतेनामे के बाद द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के साथ रहकर प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह करेगी तथा

कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे दोनों का गृहस्थ जीवन प्रभावित हो।

3. यह कि प्रथम पक्ष भी द्वितीय पक्ष को प्रेम पूर्वक रखेगा तथा कोई ऐसा अवैधानिक कार्य नहीं करेगा जिससे परिवारिक जीवन प्रभावित हो।

4. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष से उत्पन्न सन्तान अक्षित आयु 20 माह को द्वितीय पक्ष उसके दादा-दादी से मिलने जुलने में रोक टोक नहीं करेगी।

5. यह कि प्रथम पक्ष भी द्वितीय पक्ष एवं उसकी सन्तान का भरण पोषण तथा शिक्षा आदि की व्यवस्था स्वयं करेगा।

6. यह कि द्वितीय पक्ष के रहने सहने सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रथम पक्ष करेगा।

7. यह कि दोनों पक्षकार एक दूसरे की रजामंदी से ही कोई कार्य करेंगे व इसमें अन्य किसी तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

8. यह कि इस समझौतेनामे के पश्चात दोनों पक्ष सभी आपसी मनमुटाव, गिले शिकवे भूलाकर एक दूसरे के साथ-साथ खुशहाल गृहस्थ जीवन का निर्वाहन करेंगे जिसमें किसी भी पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा।"

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि संबंधित पक्षकारों के बीच सभी विवाद पहले ही सुलझ चुके हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.11.2025 रद्द किए जाने योग्य है।

4. राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने समझौता अनुबंध के तथ्यों का विवाद नहीं किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

6. हमने दिनांक 17.03.2026 के समझौता अनुबंध का परीक्षण किया है।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों, दिनांक 17.03.2026 के समझौता अनुबंध और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस बयान पर विचार करते हुए कि वे उक्त समझौता विलेख के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ताओं को विचारण पर रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

8. उपर्युक्त तथ्यों के साथ-साथ **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2012) 10 एस.सी.सी. 303** के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त हैं।

9. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

10. थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ में बी.एन.एस. की धारा 85, 115 [2], 352, 351 [2] और डी.पी. एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0805 वर्ष 2025 के संबंध में आक्षेपित एफ.आई.आर. दिनांक 04.11.2025 को सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ एतद्वारा रद्द किया जाता है।

10 अगस्त, 2026

सौरभ

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”